राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक एफ 1(16) ग्रावि/नरेगा/वार्षिक कार्य योजना–2022–23 जयपुर, दिनांक : 3/9/2021

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने संबंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2022–23 हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं अनुमानित श्रम बजट तैयार किया जाना है, जिसके संबंध में निम्न समय–सीमा अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जानी है :–

क्र.सं.	की जाने वाली कार्यवाही	समयावधि
1	ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा से पूर्व कार्य योजना की राजस्व ग्राम स्तरीय तैयारी के लिए राजस्व ग्राम सभा	20 सितंबर से 30 सितंबर 2021 (पंचायती राज विभाग द्वारा निर्धारित अनुसार)
2	ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य योजना पर विस्तृत विचार–विमर्श एवं प्राथमिकता निर्धारित	2 अक्टूबर, 2021
3	विशेष ग्राम सभा में ग्राम पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट का अनुमोदन।	03 अक्टूबर, 2021 से 30 नवम्बर, 2021 तक
4	ग्राम पंचायत स्तरीय श्रम बजट एवं वार्षिक कार्य योजना 2022–23 का अनुमोदन एवं ग्राम पंचायत स्तरीय योजना को ब्लॉक पंचायत में प्रस्तुत करना।	5 दिसम्बर, 2021 तक
5	ब्लॉक पंचायत द्वारा ब्लॉक स्तर पर समेकित की गई वार्षिक योजना का अनुमोदन तथा इसे जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रेषित करना (ब्लॉक स्तर के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट सहित समेकित श्रम बजट ब्लॉक पंचायत/मध्यस्तरीय पंचायत से अनुमोदित होना चाहिए)	20 दिसम्बर, 2021तक
6	ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा वार्षिक कार्य योजना का निर्धारित प्रपत्र में जिला कार्यक्रम समन्वयक/ अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक के समक्ष प्रस्तुतीकरण।	19 जनवरी, 2022 तक
7	जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा जिला पंचायत में वार्षिक कार्य योजना तथा श्रम बजट प्रस्तुत किया जाना (जिले के लिए प्रस्तावित सभी प्रोजेक्ट जिला स्तर पर अनुमोदित होने चाहिए)	20 जनवरी, 2022 तक
8	जिला पंचायत द्वारा जिला वार्षिक योजना को मंजूरी देना तथा इसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करना तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में राज्य स्तर पर प्रस्तुतीकरण।	31 जनवरी, 2022 तक
9	कार्य योजना का विभिन्न स्तर से अनुमोदन पश्चात ग्राम पंचायतवार लेबर प्रोजेक्शन एवं वर्क प्रोजेक्शन की ऑनलाईन एन्ट्री पूर्ण किया जाना है।	

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना हेतु ग्राम पंचायतवार वार्षिक कार्य योजना **प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को प्रत्येक ग्राम सभा में रखी ही जाती है परन्तु इस वर्ष 2 अक्टूबर से ही प्रशासन गावों**

के संग अभियान भी संचालित किया जा रहा है। अतः इसके अन्तर्गत आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में विचार–विमर्श कर अनुमोदित कराया जाये।

वार्षिक कार्य योजना तैयार किये जाने से पूर्व इस वर्ष उसकी तैयारी के लिए ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम स्तर पर पृथक एवं प्रारम्भिक **राजस्व ग्राम सभा** भी आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य न केवल कार्यों को ग्राम स्तर तक विचार–विमर्श कर संकलन किया जाना है अपितु उसकी तैयारी के लिए पहले से ही समुचित प्रस्ताव तैयार किया जाना है। इसको ध्यान में रखते हुए वार्षिक कार्य योजना तैयार करते समय क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यो की सर्वप्रथम राजस्व ग्रामवार कार्य योजना तैयार की जाए, पुनः समस्त राजस्व ग्रामों की कार्ययोजना को संकलित कर व समन्वित कर ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में विचार–विमर्श हेतु रखा जाए। इसके लिए विभिन्न **परिशिष्ट संलग्न** किए गए हैं।

- **परिशिष्ट '1'** पर प्रदत्त दिशा निर्देशों के अनुसार राजस्व ग्रामवार कार्य योजना की तैयार की जाए।
- पुनः **परिशिष्ट–2** के बिन्दुओं और सुझावों के अनुरूप विभिन्न कार्यों की एक प्राथमिक सूची ग्राम विकास अधिकारी द्वारा तैयार कर राजस्व ग्राम सभा में चर्चा हेतु रख ली जाए। इसमें राजस्व ग्राम सभा में चर्चा के उपरांत नवीन कार्यों को जोड़ा या सूची के कार्यों को हटाया जाकर उनकी प्राथमिकता तय करते हुए अनुमोदन करवाया जावे।
- इसके उपरांत 2 अक्टूबर को होने वाली पंचायत स्तरीय ग्राम सभा में राजस्व ग्राम सभा के कार्यों पर चर्चा कर पंचायत स्तरीय वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाए और उसमें आवश्यक वरीयता निर्धारित की जाए।
- समस्त चर्चा के उपरांत अंतिम कार्य योजना के सार को निर्धारित प्रारूप **परिशिष्ट '3'** में अंकित किया जाए और इसमें सभी कॉलम पूर्ण एवं सही प्रकार से भरा जाना भी सुनिश्चित करावें, ताकि कार्यों की संख्या, मानव दिवस, लागत तथा इनसे होने वाले अनुमानित प्रभाव का आंकलन सम्भव हो सके।
- ग्राम सभा में वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा/अनुमोदन संबंधी प्रस्ताव/कार्यवाही विवरण का प्रारूप **परिशिष्ट '5'** पर संलग्न है। उक्त अनुरूप ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण/अनुमोदित प्रस्ताव **परिशिष्ट '6'** एमआईएस पर अपलोड कराया जावे।
- अंत में ग्राम पंचायत के कार्यवाही विवरण को **परिशिष्ट '4 व 5'** के अनुरूप संकलित कर प्रस्तुत किया जाए।
- उक्त प्रारूप में ग्राम पंचायतवार, पंचायत समितिवार एवं जिलेवार बुकलेट तैयार कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जावे।

इसी क्रम में अन्य बिन्दु भी महत्वपूर्ण होगे –

- जिला स्तर पर श्रम एवं सामग्री का 60:40 में अनुपात, SHGs एवं CBOs की भागीदारी, भूमिहीन एवं Manual Casual Labour परिवार की प्राथमिकता सुनिश्चित करावें। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत तैयार प्लान में ली गई गतिविधियों का GPDP में समावेश करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- ग्राम सभा में योजनान्तर्गत क्रियान्वित कार्यो एवं श्रमिकों के अधिकारों के संबंध में जागरूकता हेतु विशेष प्रयास किये जावे। साथ ही योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 में कराये गये कार्यो का विवरण एवं अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने हेतु चर्चा की जावे।

आयोजित की जाने वाली ग्राम सभाओं में राजीविका के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जानी है। अतः इसके लिए उन्हें पहले से सूचित कर आमंत्रित कर लिया जाए और यथा संभव उनकी ओर से भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के नाम भी प्राप्त कर लिए जाए।

साथ ही कोविड–19 संक्रमण से बचाव हेतु केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(के.के.पाठक)
शासन सचिव, ग्रा0वि0

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4 निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5 निजी सचिव, स्टेट मिशन डायरेक्टर, राजीविका।
6 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7 अधिशाषी अभियंता, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
8 रक्षित पत्रावली।

3/9/21

परि0 निदे0 एवं उप शासन सचिव, ईजीएस

परिशिष्ट– '1'

–: वार्षिक कार्य योजना तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :–

1 योजनान्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामवार Shelf of Projects तैयार किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश जारी किये जाते रहे हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः 5 बिंदु विचारणीय है –

क. **कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों की संख्या**– मास्टर सकुर्लर में उल्लेख है कि **"ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजनाओं की सूची रोजगार की अनुमानित मांग से कम से कम दोगुनी होनी चाहिए"**। अतः वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित किये जाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्व ग्रामवार पिछले वर्षों की मांग के मुताबिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कम से कम दोगुनी संख्या में कार्य उपलब्ध हों।

ख. **कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों के स्थान**– कार्ययोजना में इतनी संख्या में इतने प्रकार के कार्य शामिल किए जाएं, जिससे मजदूरों को वर्ष भर काम दिया जा सके। साथ ही इस प्रकार की व्यवस्था की जानी आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक गांव में पर्याप्त कार्य हों, ताकि एक गांव के श्रमिक को दूसरे गांव में जाने की आवश्यकता न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार 2 अक्टूबर को पंचायत स्तरीय ग्राम सभा के पूर्व पंचायत के विभिन्न राजस्व गांवों के अंतर्गत पृथक से राजस्व ग्राम सभा आयोजन का कार्यक्रम लिया गया है।

ग. **कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों के प्रकार**– कार्ययोजना में केवल इतनी संख्या में कार्य शामिल किए जाने आवश्यक नहीं हैं कि पूरे वर्ष में मजदूरों को वर्ष भर काम दिया जा सके, अपितु इतने प्रकार के कार्य शामिल किए जाएं, जिससे मजदूरों को वर्ष भर सभी मौसमों में काम दिया जा सके। उदाहरणार्थ इसमें ऐसे समय जब बरसात के कारण प्रायः निर्माण संबंधी कार्यों में बाधा आ जाती है उसके लिए पौधशाला विकास, पौधारोपण, पोषण वाटिका विकास आदि के कार्य लिए जा सकते हैं। ऐसे ही मौसम ही नहीं, अपितु श्रमिकों के ऐसे वर्गों सामान्य श्रमिक के रूप में कार्य कर पाने में उतने समर्थ नहीं हो पाते हैं, जैसे– वृद्धजन, दिव्यांगजन, गर्भावस्था की अवधि की महिलाओं आदि के उपयुक्त कार्य समाहित हो सकें, जैसे– चौकीदारी, पानी पिलाने का कार्य, पौधशाला में निराई का कार्य आदि में उन्हें सरलता से ही नियोजित किया जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि नरेगा अधिनियम में कार्यों को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है– **कैटेगरी– 'ए' (प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधी कार्य), कैटेगरी– 'बी' (व्यक्तिगत लाभ के कार्य), कैटेगरी– 'सी' (स्वयं सहायता समूह कार्यशाला Common Work sheds for NRLM compliant SHG), कैटेगरी– 'डी' (ग्रामीण आधारभूत संरचना संबंधी कार्य)** इसमें सभी प्रकार के कार्यों को संतुलित रूप में योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम

की **अनुसूची–1** पर उल्लेखित अनुमत कार्यों की **श्रेणी 'ए' एवं 'बी'** के अधिकांश कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों की श्रेणी में आते हैं, जिनमें योजनान्तर्गत विभिन्न वित्तीय संसाधनों का कन्वर्जेन्स कर जल संरक्षण एवं जल भराव संरचनाओं का अधिक से अधिक निर्माण किया जा सकता है, ताकि प्रत्येक गाँव पेयजल एवं सिंचाई सुविधा में आत्मनिर्भर हो सकें, क्षेत्र के भू–जल स्तर में वृद्धि हो एवं गिरते भू–जल के स्तर में कमी लाई जा सके तथा गाँव के सिंचाई क्षेत्रफल में बढ़ोत्तरी हो। मिशन जल संरक्षण अंतर्गत जारी दिशा निर्देशानुसार कार्यों के चयन एवं उनकी महत्ता पर ग्राम सभा में चर्चा की जाये।

घ. **कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों के बिंदु व विविधता**– एक अच्छी कार्य योजना का उद्देश्य सभी गांवों को सम्पूर्ण विकास होना चाहिए जिसमें आधारभूत संरचना के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि और पर्यावरण का भी समुचित ध्यान रखा जा सके। कार्य योजना बनाते समय गांव के विकास से संबंधित समस्त क्षेत्रों/कार्यो यथा चारगाह, तालाब, पहाडी, खेल मैदान, सडक, आबादी, राजकीय सामुदायिक भवन व संस्थान, डंपिंग ग्राउंड, पेयजल स्थल आदि विभिन्न स्थानों के कार्य चर्चा में लाये जा सके इसके लिए इस बार पृथक से तालिका भी तैयार की गई है जो **परिशिष्ट 3 व 4** में सलंग्न की गई है। ग्राम सभा में कार्य योजना की चर्चा में सबसे पहले इन क्षेत्रों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए, ताकि उसके विकास से संबंधित जो भी प्रस्ताव या सुझाव आते हों, उनको सम्मिलित किया जा सके। इसमें सुझाव देने के लिए समुचित प्रपत्र देकर उसकी पावती भी दी जानी चाहिए।

ड. **कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों की गुणवत्ता, उपयोगिता और वरीयता** – कार्य योजना में परियोजनाओं या कार्यों की गुणवत्ता व उपयोगिता का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, यह सर्वप्रथम कार्य लिए जाने के पूर्व ही विचार कर लिया जाए कि क्या उसकी वस्तुतः वहां पर उपयोगिता है और वह भविष्य में संचालित या फलदायी होने की संभावना लिए हुए हैं। गुणवत्ता के संबंध में भी क्रियान्वयन के समय उसकी डिजाईनिंग व सामग्री पर विस्तृत परीक्षण या विचार–विमर्श किया जाना चाहिए। प्रत्येक कार्य के विकास में एक आदर्श विकास मॉडल तय किए जाने की आवश्यकता है, जिसे ध्यान में रखते हुए कतिपय सुझावात्मक निर्देश दिए गए हैं जो **परिशिष्ट '4'** में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त भी नवाचार संभव है जिन्हें प्रेरित या प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार कार्य योजना में यथा संभव उनकी वरीयता भी निर्धारित की जानी चाहिए।

2 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार योजनान्तर्गत समस्त ग्राम पंचायतों में जीआईएस आधारित प्लान अनुसार वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाये। इस क्रम में लेख है कि यदि पूर्व में तैयार किये गये प्लान में कोई गतिविधि शामिल करना हो, तो उसे शामिल करते हुए जीआईएस आधारित प्लान आवश्यक रूप से तैयार किये जावे, तथा यह सुनिश्चित किया जावे

कि लिये गये कार्य जल ग्रहण सिद्धान्त के अनुरुप है तथा District Irrigation Plan में सम्मिलित है। इस हेतु जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, भू–जल विभाग तथा जल संसाधन विभाग के अभियन्ताओं का तकनीकी सहयोग लिया जावे।

3 बंजर भूमि एवं चारागाह विकास समिति का गठन किए जाने के निर्देश है, जिसके अंतर्गत सरपंच की अध्यक्ष तथा ग्राम विकास अधिकारी को सदस्य सचिव रखा गया है। साथ ही पंचायत समिति सदस्य व वार्ड पंच के अतिरिक्त कृषि परिवेक्षक व पटवारी को सदस्य बनाया गया है। चारागाह विकास हेतु इनकी बैठक कर उनके सुझाव सम्मिलित कर लिए जाए।

4 जहां पर चारागाह भूमि नहीं है वहां सिवाय चक/बिला नाम भूमि को चारागाह हेतु दर्ज करने की कार्यवाही की जाए और शामलात संसाधन जैसे चारागाह, तालाब, नाडी, जोहड़ आदि का परिसंम्पति रजिस्टर में दर्ज करने की कार्यवाही की जावे। (पंचायती राज नियम 1996/137)

5 योजनान्तर्गत कुल व्यय राशि की कम से कम 60 प्रतिशत राशि कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर तथा मिशन जल संरक्षण ब्लॉक में कुल व्यय राशि की कम से कम 65 प्रतिशत राशि प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन कार्यों पर व्यय किये जाने के निर्देश भारत सरकार द्वारा दिये गये हैं, जिसकी पालना की जानी है।

6 चूंकि कार्ययोजना में अनेक बिंदु नवीन रूप में निर्धारित किए गए हैं। अतः इसमें जिला स्तर से पंचायत समिति के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाकर पुनः मास्टर ट्रेनर से पंचायत समिति स्तर पर समस्त ग्राम विकास अधिकारियों तथा सरपंचगण को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् दिनांक 09.09.2021 तक अपने प्रशिक्षण कैलेण्डर से अवगत करायें।

परिशिष्ट – 2

– : वार्षिक कार्य योजना अंतर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु विशेष निर्देश :–

(ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिन्दु)

क.सं.	कार्य	विवरण
1	**पहाड़ी या नाला या ड्रेनेज स्थल, वन या बीहड़ क्षेत्र में जल व मृदा संरक्षण हेतु विविध कार्य**	सर्वप्रथम ऐसे समस्त स्थानों का चिन्हीकरण कर लें। विशेष रूप से पहाड़ी स्थानों पर अनेक चोटियां आज भी कन्टूर/स्टेगर्ड ट्रेंच न होने से हरियाली से विहीन है इससे उनका पानी बहते हुए चला जाता है। ये संरचनाएं श्रम प्रधान होती है, अतः अधिक श्रमिकों का भी नियोजन किया जा सकता है। इस प्रकार प्रत्येक पहाड़ी पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाई जानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पहाड़ों की चोटियों के नीचे के गहरे ढलवां भागों तथा अन्य नालों में आवश्यकतानुसार चेक डैम/एनीकट बनाए जाने की आवश्यकता है। भूमि के कटाव को रोकने एवं उसी स्थान पर जल संरक्षण हेतु रिज टू वैली एप्रोच के अनुसार ड्रेनेज लाईन को ट्रीट करने के लिए गली प्लग, लूज स्टोन चैक डेम, अर्दन चैक डैम, गेबिएन इत्यादि जल संरचनाएं तकनीकी मानदण्डों के अनुरुप बनाई जानी चाहिए।
2	तालाब	तालाब विकास हेतु सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या तालाब में पानी की आवक का मार्ग निर्बाध है और साथ ही क्या उसकी पाल व्यवस्थित, सुदृढ और विकसित है क्योंकि बारम्बार तालाब या नाड़ी की खुदाई करने से उसकी संरचना कई बार आदर्श रूप में नही रह पाती है इस हेतु नवाचारों पर बल दिया जाना चाहिए तालाब का विकास, ग्राम स्तर पर भ्रमण एवं पर्यटन रूप में किया जाना चाहिए। तालाब की पाल के चारों ओर एक भ्रमण पथ बनाया जाए, जो दोनों ओर से फलदार वृक्षों व फूलदार वनस्पतियों या लताओं से घिरा हों। यह ऐसा क्षेत्र हो जहाँ लोग बैठ सकें और प्रायः एक पार्क की तरह लोग यहां भ्रमण के लिए आना चाहे।
3	**अन्य परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार**	गाँवों में अनेक परम्परागत ऐसी जल संरचनाएं है जो क्षतिग्रस्त एव जीर्णशीर्ण हो चुकी है का जीर्णोद्धार किया जाकर सौदर्यीकरण किया जाना चाहिए। ताकि गॉव में जल संरक्षण के साथ–साथ पर्यावरण के सुधार एवं पर्यटन की दृष्टि से उपयोगी हो।
4	वृक्षारोपण • परिसर • रोड/कैनाल साईड • सामुदायिक भूमियों पर	राजस्थान में वर्षा आधारित ही पौधारोपण ज्यादातर किया जाता है। प्रदेश में वर्षा के कम दिन होने के कारण पौधारोपण के लिये परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल नहीं होती है। जिस जगह पर पौधारोपण किया जाना है वहां वर्षा के आगमन के साथ ही पौधारोपण का कार्य शुरू करने के लिये पौधारोपण कार्य से पूर्व

		की समस्त तैयारियां कर लेनी चाहिये। इस क्रम में विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। वृक्षारोपण से यातायात के साधनों से निकलने वाला धुआं व शोर गुल का प्रदूषण कम हो जाता है। सडक पर छाया होने के कारण सडक के किनारे पार्किग आसान हो जाती है। वर्षात् के दिनों में अतिरिक्त नमी को वृक्ष सोख लेते है जिससे सडक टूटने का खतरा कम हो जाता है सड़क के किनारे पानी से अथवा ट्रेफिक लोड से कटने में बचाव होता है। जिससे सडक के किनारो की मिट्टी भी सुरक्षित रहती है।
5	चारागाह	चारागाह विकास हेतु सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि कितनी भूमि व किस स्थान पर उपलब्ध है, इसके विकास हेतु नवाचारों पर बल दिया जाना चाहिए। चारगाह के अंतर्गत अनेक कार्यों की आवश्यकता हो सकती है जैसे फार्म पोंड/तालाब, पशुओं के लिए खेली, वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर, बायोगैस/वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट पिट, पौधशाला इत्यादि। पूरे चारागाह क्षेत्र को चार खंडों में विभाजित किया जाए, ताकि क्रमबद्ध रूप से एक–एक हिस्से को चराई हेतु खोला जाए और अन्य भागों में घासों और वनस्पतियों को बढ़ने दिया जाए। इसकी चारदीवारी के लिए ट्रेंच खोदकर उसमें लाइव फेन्सिंग के रूप में लगाने पर बल दिया जाये जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो सकता है। इसमें क्षेत्र अनुसार विकल्प के रूप में रतनजोत, करोंदा, कनेर, नींबू आदि ऐसे पौधों को भी लगाया जा सकता है, जो पशु चराई से सुरक्षित रहते हैं। चारागाह विकास के लिए जहां आवश्यक हों वहां विलायती बबूल (ज्यूली फ्लोरा), लेंटाना आदि को हटाया जाना आवश्यक हों वहां ऐसे कार्यों परियोजना का अंश बना लें। चारागाह का विकास केवल चारागाह दर्ज भूमि में ही नहीं अपितु अन्य सिवायचक, बिलानाम बंजड़, ओरण आदि भूमियों में भी किया जा सकता है। अतः वहां भी इस प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। चारागाह विकास में यह ध्यान रखें कि पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। अतः उसमें जहां आवश्यक हों सेवण, घामण आदि स्थाई प्रकृति की घासों के बीज की बुवाई या ऐसे पेड़ जिनकी पत्तियां चारे के रूप में प्रयुक्त हों सकती हैं को वरीयता दी जानी चाहिए। ग्राम स्तर पर चारागाह विकास समिति के गठन के प्रस्ताव लेवे (पंचायती राज नियम 1996/170 (1))
6	सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य	महात्मा गांधी नरेगा योजना में सर्वाधिक महत्व जल के संरक्षण एवं संचय को प्रदान किया गया है। वर्तमान में जल उपयोग की दक्षता पर ध्यान दिये बिना तथा कृषकों द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार कार्य करने की प्रवृति के कारण उपलब्ध सिचाई क्षमता के विरुद्ध वास्तविक सिंचाई काफी कम हो पाती है एवं पानी का

		अपव्यय अधिक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों मे पर्याप्त जल के संरक्षण एवं संचय से उक्त अपव्यय को कम किया जाकर अधिक सिचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाकर उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है एवं कृषकों की आजीविका में वृद्धि से उनके जीवनयापन में सुधार भी किया जा सकता है।
7	**भूमि विकास के कार्य**	राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण सर्वाधिक भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश हैं जिसमें मरूस्थल, बीहड़, पहाड़, पठार, जंगल आदि भिन्न प्रकार के स्थितियां विद्यमान है और हर स्थान के विकास की अलग रणनीति हो सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए टिब्बा युक्त क्षेत्र, गहरे गढ्डे वाले क्षेत्र, उबड खाबड क्षेत्र को उपयोगी बनाने हेतु भूमि विकास के कार्य किये जाने चाहिए। इसके तहत पैरीफेरल बण्ड, कन्टूर बण्ड, भूमि समतलीकरण, पौधारोपण इत्यादि जैसी गतिविधियॉं ली जा सकती है।
8	**पशुशाला या कैटल शेड**	मुख्य सड़क से जुड़े हुए गांवों में कई बार यह पाया जाता है कि सूखी जमीन की तलाश में अनेक पालतू/आवारा पशु सड़कों पर चले आते हैं, अतः यह आवश्यक होगा कि अधिक ट्रेफिक वाले जुड़े स्थान पर ही कोई कैटल शेड इस तरह बनाया जाए, जिसमें ऐसे पशुओं को लाया जा सके। इस कैटल शेड के तीन तरफ पशु खेली (Cattle fodder trough) के रूप में फेंन्सिंग व इसमें पेयजल के लिए उसी खेली में अलग से व्यवस्था की जा सकती है। इसमें ग्राम समुदाय स्वयं अपनी ओर से चारा, घरों के, सब्जी के वेस्ट, रसोई के वेस्ट को डाल सकता है। पशुओं को आवश्यक सुरक्षा एवं स्वास्थय को दृष्टिगत रखते हुए पशुशेड का निमार्ण किया जाना चाहिए। यहां शेड के नीचे फर्श को पत्थर, कंकरीट ब्लॉक, खड़ी ईंट से बनाया जा सकता है। इसकी ढाल ऐसी रखी जाए कि गोमूत्र, गोबर सरलता से किनारे आ जाए। गोमूत्र के लिए फर्श के किनारे पतली नाली भी बनाई जा सकती है जो सोकपिट या कम्पोस्टपिट में जा सके। अधिक पशु होने व समुचित व्यवस्था होने अवश्यकतानुसार वर्मीकम्पोस्ट या बायोगैस यूनिट का निर्माण किया जा सकता है। इनकी बेहतर व्यवस्था के लिए समुदाय व संगठनों को प्रेरित किया जाना चाहिए।
9	**कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट/बायो गैस**	ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के कारण गोबर पर्याप्त उपलब्ध होता है जिसे उत्पादक रूप में प्रयुक्त किए जाने की विपुल संभावना है। इसके लिए **कम्पोस्ट/वर्मी कम्पोस्ट/बायो गैस** का प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और इसमें जहां गोबरधन योजना या जैव प्राधिकरण से संचालित अन्य योजनाएं विद्यमान हैं, उसमें तदनुरूप नरेगा से अभिसरण किया जा सकता है। बड़ी गौशालाओं वाले स्थान या बड़े पशुपालकों के मध्य विशेष रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। फसलों की उत्पादकता बढाने हेतु गोबर/सूखा कचरा इत्यादि का उपयोग कर जैविक खेती को बढावा देने हेतु कम्पोस्ट पिट बनाया

		जाना चाहिए। साथ ही स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वर्मी कम्पोस्ट की परियोजनाएं भी ली जानी चाहिए।
10	**पौधशला या नर्सरी**	विभाग द्वारा पौधशला या नर्सरी विकास हेतु पूर्व में **विस्तृत दिशा निर्देश** जारी किये गये हैं, उक्त के अनुसार नर्सरी विकास कार्य कराया जावे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर व आवश्यक मात्रा में अच्छे पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
11	**पोषण वाटिका (Nutri-Garden)**	पोषण वाटिका के लिए विस्तृत निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं तद्नुरूप कार्यवाही सम्पादित की जाए।
12	**समस्त सरकारी भवनों में** वर्षा जल संरक्षण	समस्त सरकारी भवनों पर वर्षा जल संरक्षण हेतु Roof Top Rain Water Harvesting Structures बनाये जाने चाहिए।
13	**आंगनबाड़ी केन्द्र/अन्य विद्यालय, सरकारी भवन**	आंगनबाडी केन्द्रों पर एनआरएलएम का अनुपालन करने वाले स्वयं सहायता समूहों के लिए Common Worksheds, नर्सरी, पोषण वाटिका एवं शौचालय निर्माण के प्रस्ताव लिये जा सकते हैं। अन्य सरकारी भवनों में भी नर्सरी विकास, पोषण वाटिका एवं शौचालय निर्माण के प्रस्ताव आवश्यकता होने पर लिये जा सकते हैं।
14	**खाद्य गोदाम**	खाद्य गोदाम आवश्यकतानुसार ही लिए जाने चाहिए। इसमें उपयोगिता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण किया जाए। इसमें गाँव में आधारभूत संरचनाओं के विकास हेतु विभागीय निर्देश/तकमीना अनुसार निर्माण कार्य कराया जाकर उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
15	**खेल मैदान**	खेल मैदान में खेल के लिए मैदान, उसके चारों ओर स्टेडियम या कुछ हिस्से में बैठने योग्य सीढ़ीनुमा व्यवस्था, दोनों के बीच में वॉकिंग ट्रेक, रनिंग ट्रेक आदि का आवश्यकतानुसार विकास किया जा सकता है। यहां पर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय भी लिया जा सकता है। मैदान के चारों ओर फलदार, छायादार पेड़ लगाए जाएं। चारदीवारी के पास विभिन्न प्रकार की बेलों/लताओं को लगाया जा सकता है, जो चारदीवारी को आच्छादित कर सौंदर्यकरण करेंगे। जहां चारदीवारी निर्मित नहीं है अथवा निर्मित है, उसके किनारे बांस के पौधारोपण को भी लिया जा सकता है। जो अतिरिक्त रूप में फेंसिंग का कार्य करेगा। मैदान के बाहर सड़क से जुड़े हिस्से या समुचित स्थान पर वाहन पार्किंग की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। जहां मैदान में अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हों, वहां नर्सरी विकास की गतिविधियां भी ली जानी चाहिए।
16	**श्मशान घाट**	श्मशान घाट को भी एक समुचित सुविधा युक्त स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इसमें शवदाह शेड के अतिरिक्त लोगों के बैठने के लिए शेड भी बनाए जा सकते हैं, जो जीआई शीट से लिए जाने वांछनीय होंगे। इनके किनारों और खंभों के चारों ओर कंकरीट या पत्थर से बेंचनुमा बैठक व्यवस्था बनाई जा सकती है। यहां यदि बड़ी ग्राम पंचायत का श्मशान हो तो सामुदायिक शौचालय भी बाहरी हिस्से में बनाए जा सकते हैं,

		ताकि बाहर और भीतर के लोग दोनों प्रयोग कर सकें। डिजाइन इस प्रकार की रखी जा सकती है, जिसमें इससे जुड़े हिस्से में नल लगाकर लोगों के स्नान व पेयजल की व्यवस्था की जा सकती हैं। स्थान होने पर छायादार वृक्ष भी लगाया जाएं। छायादार वृक्ष ऐसे अन्य सार्वजनिक/सामुदायिक स्थान पर लिए जा सकते हैं।
17	**जल स्रोत (जीएलआर, हेंडपम्प, पीएसपी, सार्वजनिक कुआं आदि) से बहने वाले व्यर्थ जल के लिए सामुदायिक** सोखा (Soak Pit)	पानी सोखने वाले गड्ढे बोलचाल की भाषा मे सोखा (Soak Pit) कहलाते है। यह पोरस दीवाल के पक्के अथवा कच्चे व ढके हुए गड्ढे होते है जिनमे से पानी धीरे–धीरे जमीन मे रिसता है। पूर्व उपचारित जल को सोखने वाले गड्ढों में छोडा जाता है, जिससे पानी आसपास की मिट्टी द्वारा अवशोषित कर जमीनी तल में पहुॅचा दिया जाता है। जल स्रोत (जीएलआर, हैंडपम्प, पीएसपी, सार्वजनिक कुआं आदि) से बहने वाले व्यर्थ जल के लिए सामुदायिक Soak Pit को बनाया जाना आवश्यक है। इसके लिए कार्ययोजना बनाते समय ऐसे स्थानों का चिन्हीकरण किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जहां पानी सड़कों या गलियों में आता है, इसे आवश्यक रूप से लिया जाना चाहिए। यदि बेकार जल को पुनः उपयोग मे लाने की आवश्यकता नही होती है तो वर्षा का जल, शौचालय फलश, बायोगैस प्लान्ट इत्यादि से आने वाला जल इनमे प्रवाहित किया जाता है। जल फिल्टर विधि द्वारा जमीन के अन्दर चला जाता है व जैविक क्रिया द्वारा अवशेष का विघटन होता रहता है।
18	**स्वच्छता संबंधी (SLWM) कार्य यथा– डंपिंग ग्राउंड के कार्य**	ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी विभिन्न कार्यों यथा– डंपिंग ग्राउंड का समुचित विकास कार्य दिशा निर्देशों के अनुरुप नरेगा एवं कन्वर्जेन्स कर लिया जा सकता है जिसमें किसी डंपिंग ग्राउंड में प्लास्टिक या गोबर या बायो वेस्ट पड़ा है तो उस डंपिग यार्ड को समग्र रुप से एकबार विकसित करने के लिए अन्य गतिविधियों के साथ साथ साफ करने का कार्य भी लिया जा सकता है। स्वच्छता के कार्य में स्वयं सहायता समूह की सहभागिता भी ली जा सकती है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बनने वाले सार्वजनिक शौचालयों को अधिक आवश्यकता वाले स्थानों जैसे सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, एएनएम सब सेंटर, पर्यटन या हाट स्थल, श्मशान, राजीव गांधी आई.टी. सेन्टर, विद्यालय खेल मैदान परिसर में अथवा उपलब्ध भूमि पर बनाया जाना चाहिए ताकि इन परिसरों में आने वाले सहभागियों को सरलता से इसकी सुविधा प्राप्त हो सके।
19	**स्वयं सहायता समूह कार्यशाला** (Common Worksheds for NRLM compliant SHG)	राज्य के अंतर्गत 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह उपलब्ध है। नरेगा के माध्यम से उनके लिए ऐसी कार्यशालाएं बनाई जा सकती हैं, जहां अनेक महिलाएं बैठ कर अपनी निर्धारित उत्पादक गतिविधियों को क्रियान्वित कर सकें। इसके लिए लागत और पूर्णता अवधि कम रखने हेतु सम्पूर्ण संरचना को पत्थर या

		कंकरीट से बनाए जाने की बजाए एक सामान्य जी.आई. शीट की शेड बनाते हुए संरचना विकसित की जा सकती है। जहां पर सरकारी परिसर पहले से विद्यमान है, वहां एक तरफ की दीवार का उपयोग करते हुए भी कम लगात में बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए सामान्यतः आंगनबाड़ी केंद्र अथवा राजीव गांधी आई.टी. सेन्टर या पंचायत भवन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अन्य विकल्प के रुप में सामुदायिक या राजकीय परिसरों को लिया जा सकता है। इस सम्पदा का स्वामित्व ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का होगा, जिन्हें संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह को निःशुल्क अथवा पंचायत द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर दिया जा सकेगा। इसके विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे।
20	**सड़क निर्माण कार्य**	सड़कों निर्माण में भी उनके साथ समुचित फुटपाथ नाली और वृक्षारोपण इन तीनों बिंदुओं पूर्ण करने की आवश्यकता है। इसमें जहां सीसी सड़क बनाई जा रही है उसमें दो बिंदुओं को ध्यान में रखने की बहुत आवश्यकता है। सर्वप्रथम उसके किनारों को शार्प ऐज वाला किसी भी रूप में न बनाया जाए अपितु उसे ढलवां रूप में विकसित किया जाए। पुनः उसके किनारे के कुछ भाग को सीमेंटेड ब्लॉक या पत्थर या ईंट से इस प्रकार बनाया जाए ताकि जब उस सड़क पर नाली या पाइप लाईन या किसी वायर को डालने की आवश्यकता हो तो सम्पूर्ण सड़क को तोड़ना न पड़े। इसमें सड़क को बीच में कन्वेक्स रूप में इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि सड़क का पानी उसकी ढाल से दोनों किनारों पर निकलता रहे। सड़क बनाने के लिए पत्थर या मोरम की आवश्यकता होती है जो सामान्यतया गांव में उपलब्ध नहीं होती जिसके लिए निविदा जारी करके, आपूर्ति का विकल्प अपनाया जाता है। इसमें यदि अधिकृत स्थानों पर मोरम या पत्थर उपलब्ध हो तो नियमानुसार इसे वहां पर नरेगा में निकालने के लिए लिया जा सकता है, जिसका उपयोग अन्य पंचायतों/ ग्रामों द्वारा किया जा सकता है।
21	**व्यक्तिगत प्रकृति के कार्य**	इसके अंतर्गतअधिनियम में वर्णित पैरा –5 के लाभार्थियों की कृषि भूमि की उत्पादकता एवं आजिविका में वृद्धि हेतु आवश्यक गतिविधिया अनेक प्रकार के कार्य लिए जा सकते हैं जैसे– नर्सरी या पौधाशाला विकास, सिंचाई सुविधा, फॉर्म पौण्ड, भूमि विकास, एनीकट, अर्दन डेम, चैकडेम, पॉल्ट्री, कैटल शैड़ बागवानी, जल संरक्षण संरचना, आदि के कार्य (योजनान्तर्गत कम से कम 25 प्रतिशत मानव दिवस व्यक्तिगत लाभार्थियों के कार्यो के सृजन करने हेतु)। जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए गए हैं, वहां स्थान होने पर कैटल शेड और छत के जल को नीचे लाने की व्यवस्था, नर्सरी आदि का कार्य दिया जा सकता है। जहां अन्य योजनाओं से बायोगैस अनुमत हों वहां नरेगा से अभिसरण किया जा सकता है। विशेष रूप से इंदिरा आवास योजना के ऐसे

		कार्य जो कम राशि के कारण पूर्ण नहीं हो सकें हैं उन्हें इस प्रकार से प्रेरित कर पूर्ण कराया जा सकता है। वर्षा जल को खेत में ही संरक्षित करने की दृष्टि से खेत के ढाल को ध्यान में रखते हेतु कृषि भूमि में सिचाई सुविधा हेतु आवश्यकतानुसार फार्म पौण्ड/ टांका/डिग्गी का निमाण कराया जा सकता है।
22	**नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत अन्य कार्य**	वस्तुतः नरेगा के अंतर्गत कार्यों की विपुल संभावना संभव होती है। इसमें अनेक क्षेत्र ऐसे हैं इन पर बहुत कार्य नहीं लिए गए हैं। उदाहरणार्थ नरेगा में भवन सामग्री निर्माण को अनुमत कार्यों में रखा गया है, परन्तु राज्य में इस संबंध में व्यवस्थित कार्य नहीं लिए गए हैं। इसके अंतर्गत ईंट या कंकरीट या ब्लॉक के अतिरिक्त पत्थर कटिंग या मोरम के कार्य भी लिए जा सकते हैं। जिससे निविदा संबंधी फर्मों पर निर्भरता कम होगी। इसके संचालन के लिए राजीविका के स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित और प्रेरित किया जाना चाहिए।
23	**अन्य/नवाचार से संबंधित कार्य**	नवाचार के अंतर्गत नरेगा में अनुमत विभिन्न कार्यों को लिया जा सकता है, इसमें भी जिस सीमा तक अन्य योजनाओं से अभिसरण संभव हों उनका आवश्यक रूप से अभिसरण किया जाना चाहिए जिससे उसी राशि में बड़े कार्य लिए जा सके। इसके लिए जहां तक सीएसआर या दानदाता या जनसहयोग हो उसे भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसे कार्यों के लिए ग्राम सभा में विस्तृत चर्चा की जानी चाहिए। ग्रामीण अवसंरचना निर्माण हेतु अधिनियम अन्तर्गत अनुमत कार्यों को अन्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की योजनाओं से कन्वर्जेन्स किया जा सकता है। साथ ही लाईन विभागों के द्वारा प्रस्तावित कार्य कन्वर्जेन्स के तहत किये जा सकते है। कन्वर्जेन्स के प्रस्ताव भी ग्राम सभा में विचारार्थ रखकर वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए

परिशिष्ट– '3'

कार्य योजना में चिन्हित कार्यों का विवरण –

क्र. सं.	गांव का नाम	प्रस्तावित कार्य का नाम	स्थान का नाम	क्षेत्र (हेक्टेयर/ संख्या)	अनुमानित श्रम बजट	अनुमानित सामग्री बजट	कुल बजट	सृजित मानव दिवस	कार्य की प्राथमिकता (Priority)	कार्यकारी एजेंसी का नाम

परिशिष्ट– '4'

–: वार्षिक कार्य योजना 2022–23 में राजस्व ग्रामवार लिये जाने वाले कार्यो की चेक–लिस्ट :–

जिला		पंचायत समिति		ग्राम पंचायत	
राजस्व ग्राम		कुल जॉब कार्ड		सक्रिय जॉब कार्ड	

क.सं.	कार्य	संख्या	अनुमानित व्यय
1	**जल संरक्षण हेतु चैकडेम/बन्ध इत्यादि**		
	एनीकट/ लूज स्टोन चैक डैम/ गैबियन इत्यादि		
2	**जल संग्रहण संरचनाएं**		
	• तालाब/ नाडी		
	• परम्परागत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार		
	• फार्म पॉण्ड/ डिग्गी		
	• टांका/ कुआँ		
3	**जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के कार्य**		
	• कन्टूर/स्टेगर्ड ट्रेंच (Staggered Trenches, Continuous contour Trenches-CCT) etc.		
	• गली प्लग्स (Gully Plugs)		
4	**वृक्षारोपण**		
	• परिसर		
	• रोड/कैनाल साईड		
	• सामुदायिक भूमियों पर		
5	**चारागाह**		
6	**सूक्ष्म सिंचाई संबंधी कार्य**		

7	भूमि विकास के कार्य		
8	व्यक्तिगत लाभ के कार्य		
	• वर्मी कम्पोस्ट		
	• कैटल शेड/ बकरी आश्रय / कुक्कुट आश्रय इत्यादि		
	• कृषि भूमि की उत्पादकता बढाने सम्बन्धी कार्य		
	• फार्म पौण्ड /टांका/डिग्गी इत्यादि		
	• भूमि समतलीकरण एवं मेडबन्दी कार्य		
	• पौधारोपण – उद्यानिकी/सामान्य वृक्षारोपण		
	• अन्य		
9	पौधशाला या नर्सरी		
10	पोषण वाटिका **(NutriGarden)**		
11	समस्त सरकारी भवनों में वर्षा जल संरक्षण **(Roof Top Rain water harvesting structures on Govt. Building)**		
12	आंगनबाड़ी केन्द्र आदि		
13	पंचायत घर		
14	खाद्य गोदाम		
15	खेल मैदान		
16	श्मशान घाट		
17	स्वच्छता संबंधी **(SLWM)** कार्य		
18	सामुदायिक **Soak Pit**		
19	समूह कार्यशाला **(Common Work sheds for NRLM compliant SHG)**		
20	सड़क/ पुलिया निर्माण कार्य		
21	अन्य/नवाचार से संबंधित कार्य		
22	मनरेगा योजनान्तर्गत निर्मित परिसम्पतियों के रखरखाव हेतु कार्य		
23	नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत अन्य कार्य		

परिशिष्ट– '5'

वार्षिक कार्य योजना 2022–23 में राजस्व ग्रामवार लिये जाने वाले कार्यो की इकजाई रिपोर्ट

ग्राम पंचायत		पंचायत समिति	

1	2	3			4			5		
क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	कुल कार्य			कार्य की राशि			कुल मानव दिवस		
1		व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग
2										
3										
4										
5										
	योग									

ग्राम पंचायत		पंचायत समिति	
प्रस्ताव संख्या		ग्राम सभा दिनांक	

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 22–23 की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा/अनुमोदन संबंधी कार्यवाही विवरण

उपस्थित कोरम के समक्ष महात्मा गांधी नरेगा योजना की वित्तीय वर्ष 2022–23 के श्रम बजट एवं कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा की गई। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निम्नानुसार कार्य येाजना का अनुमोदन किया गया–

क्र.सं.	कार्य व अन्य बिंदु	विवरण
1	कुल कार्यों की संख्या	
	सामुदायिक	
	व्यक्तिगत	
2	कुल मानव दिवस सृजन	
3	कुल वित्तीय राशि	
	सामुदायिक कार्य हेतु	
	व्यक्तिगत कार्य हेतु	

उक्त कार्य योजना विभागीय निर्देशों एवं महात्मा गांधी नरेगा के प्रावधानों के तहत बनाई गई है।

जारीकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

Booklet

~~Annexure-2~~

PART-I (Performance)

1. General Profile of the State/ District/ Block

    - State/ District/ Block profile - geographical, economic, administrative
    - SECC data
        - Automatic Inclusion
        - Deprivations
        - Casual Manual Labour (CML) and their Job Card status
    - Demography
        - SC population
        - ST population
    - Drought/ flood status of the State/ District/ Block
        - Frequency of droughts and provision of additional 50 days (year wise in last 5 years) with number of districts affected

2. Status of MGNREGA Implementation — Physical for FY 2018-19, FY 2019-20 , FY 2020-21and 2021-22(end of Jan) - comparative snapshot)

    - Registered HHs
        - Total
        - Active
    - Total Person days generation
        - Women (number and percentage)
        - SC (number and percentage)
        - ST (number and percentage)
    - HHs provided at least 100 days of Employment
    - HHs provided more than 100 days of Employment
        - FRA
        - Drought
        - Others
    - Active Job Card Holders
        - Women (number and percentage)
        - SC (number and percentage)
        - ST (number and percentage)
    - Average Persondays per HH
    - GPs with nil person days

3. **Work Details for 2020-21 and FY 2021-22 (end of Jan)**

- Total Works taken up since inception and during FY 2020-21and FY 2021-22 (end of Jan)

- Status of completion of Works
  - oTotal work completed since inception - number and percentage
- oWorks started and completed in FY 2020-21and FY 2021-22 (end of Jan)
- Expenditure on Agriculture and allied work — figures and percentage; number of districts below 60%.

- Natural Resource Management (NRM) related work (Community + Individual both) (number and %age; number of districts below 60%)

- Irrigation potential created through NRM works (in hectare)

- Plantation
  - oRoad side plantation (length, percentage against commitment, districts below 60%)
  - oBlock plantation (in hectares)

- Individual Assets
  - oVermi/ NADEP Compost
  - oFarm ponds
  - oCattle/ Poultry/ Goat/ Piggery Sheds
- Modal Pond (Section- Ongoing-Completed)
- Play Ground (Section- Ongoing-Completed)
- Pasture Dev. (Section- Ongoing-Completed)
- Crematoria (Section- Ongoing-Completed)

- Aangan Wadi Centres (AWC) (Target, Completed, Ongoing)

- Category - A, B, C and D wise
  - oExpenditure (actual and percentage)
  - oNumber of works (actual and percentage)

4. **Financial Details**

- Total expenditure
  - o Wage percentage
  - o Material percentage
  - o Admin percentage

- Notified MGNREGA wage rate

- Average wage rate per person day

- Average cost per person day

- Administrative expenses

- Total expenditure
  - District (amount and percentage of total expenditure on Admin)
  - Block/ Mandal (amount and percentage of total expenditure on Admin)
  - GP/ Village (amount and percentage of total expenditure on Admin)
- Expenditure on salary (amount and percentage of total expenditure on Admin)
  - District
  - Block/ Mandal
  - GP/ Village
- Expenditure on other heads to be listed with amount and percentage of total expenditure on Admin
  - on Trainings
  - on IEC

5. Status of roll out of Geo-MGNREGA and Janmanrega

- Status of Geo Tagging of assets

Particular	Ist Phase	IInd phase		
		Before	During	After
Assets generation				
Assets geotagged				

- Status of registration of MSEs

6. Status of Delay in Payment of Wages

- Delay in wage payment (crediting into account of beneficiary) after 15 days
- Delay compensation paid
- Compliance of SoP on Monitoring of Timely payment of Wages (Stage-I)
- Compliance of SoP on Monitoring of Timely payment of Wages (Stage-II)
- Strategy to improve Timely Payment of Wages at Stage-I and Stage-II

7. Status of Social Audit

- Training of Resource persons (number and percentage against target)
- Social Audit conducted (Number of GPs covered; percentage) and Action Taken Report

8. Status of Direct Benefit Transfer

- Status and balance Aadhaar numbers to be seeded.
- Status and balance ABP conversion to be done.
- Status of SLBC meetings and reconciliation with LDMs of consent forms shared with- Banks for ABP conversion with respect to the joint instructions of MoRD and Department of Financial Services dated 9th Jan, 2017.

9.Deployment of Technical personnel

- Technical Assistant (number; average number of GPs under one TA's supervision)
- Junior Engineer

- Assistant Engineer
- Executive Engineer

10.Capacity building of Technical personnel - DTRT & BTRT Trainings

- District Technical Resource Team (DTRT) persons trained against target
- Block Technical Resource Team (BTRT) persons trained against target

11.Mapping of casual manual labour as per SECC

- Number of casual manual labour identified as per SECC
- Number of casual manual labour category households contacted for registration for Job Card, new Job Cards issued and refusals
- Total number of casual manual labourer households with Job Card

12 . Good Governance initiative (5-5 Photograph of each activity)

12(i) Status of Job Card verification.

- Total
- Active
- No. of Job Card verified

12(ii) Deployment of 7 register
(GP's covered)

12(iii) Work file maintained
(G.P. Covered)

12(iv) Citizen Information board
(G.P. Covered)

13. **Para wise Status of compliance of audit observations of C&AG**

14.Action taken on NLM report

- Number of visits/ reports
- Observations complied with
- Observations pending for compliance

PART — II (Proposal for FY 2022-23)

Labour Budget (LB) 2022-23

- Brief description of participatory planning exercise undertaken for preparation of Labour Budget estimates
- GIS Based planning (Cost in lakhs)

Expenditure Analysis-GIS GPs

Avg. Exp of last 3 yr/GP (GIS GP)	Avg. exp for a GIS plan phase in 3 Year/GP (GIS GP)	Per HH Expr (GIS GP)	
		Avg. Exp of Last 3 yr	Avg. estimated Exp as per GIS plan

Category Wise Est. Cost of works as per GIS Plan

Total no. of HHs	No. of beneficiaries eligible for IBS	Proposed individual works			proposed community works	
		count	expenditure	exp/HH	count	Expenditure

Est.. Cost of Community works as per GIS Plan

Proposed Community Works	
Count	Expenditure

GIS GP-GPs where in GIS based planning is being implemented under MGNREGS (4 GPs/Block)

GIS Based Planning (Cost in Lakhs)

Status of GIS based plan of 4 GPs/Block

Target (GPs identified for GIS paln)	No. of GPs with GIS based plans uploaded in NREGASOFT (%age of Total GPs)

Total works identified in GPs as per GIS Plan

No. of Planned works	Total Estimated Cost

Year- wise estimated cost and count works as per GIS plan

FY 2020-21		FY 2021-22		FY 2022-23	
Number of works	Est. Cost	Number of works	Est. Cost	Number of works	Est. Cost

- Estimates of Labour Budget for FY 2022-2023
  - Month-wise district-wise labour budget with seasonality graph for the FY Supported by trends in last 3 FYs.
  - Category & sub category-wise works plan for FY 2022-23with expected outcomes
  - p o Commitments for:-
    - Vermi/ NADEP compost pit
    - AWC
    - Roadside plantation
    - Grameen Haat
  - Implementation of the NRM component of DIP (under MWC)
    - Report of State Level Workshop on Mission Water Conservation
    - Total NRM works planned (percentage included in DIP; Number and percentage of standalone works taken up)
    - Kind of works planned

- Plan for Irrigation deprived districts (NRM component in number and cost as well as in percentage of total planned cost of LB).
- Plan for Over exploited blocks (NRM component in number and cost as well as in percentage of total planned cost of LB).
- Plan for Critical blocks (NRM component in number and cost as well as in percentage of total planned cost of LB).

  - Non — PMGSY road
    - Works planned as per guidelines issued
  - Category-wise expected spill over of works
  - Convergence-works - department-wise and category-wise (No. & Amount in lakh)

Name of Dept.	New works takeup			
	No.	Amount from Other Scheme	Amount from mgnrega	Name of the Schme

- Plan for Direct Benefit Transfer (DBT) - Aadhaar seeding/ ABP conversion
  - Balance Aadhaar numbers to be seeded. Strategy for 100% seeding into
  - Balance ABP conversion. Strategy for 100% ABP conversion of all active workers. having accounts in Banks/ Post Office (Once they come on CBS platform and APBS payment system) with timelines
- Completion of Incomplete works — strategy and commitment regarding 100% completion of works started before 31 March, 2021.
- Strategy to ensure timely Payment of Wages (Stage-I and Stage-II)
- Plan for capacity Building — Digital Payments
  - For all field functionaries at various levels Viz. State/ District/ Block/GP
  - For rural community
- Plan regarding Geo tagging of assets under Psae -I and phase-II, Registration of MSEs and Janmanrega
- Plan for covering casual manual labour households with Job Card.
- Implementation of Mobile Monitoring System

National Mobile Monitoring System (NMMS)

S.No.	Strategy for implementing NMMS	No. of GP	No. fo GPs got registered for NMMS	No. of musterrolls filled using NMMS

Annexure-3

Targeted Completion of Incomplete Works

S. No.	Types of works		Number of Incomplete works as on date 01-04-2021	Numbers of works Completed		Number of works to be Completed by		
				Target	Completed	31-03-2022	30-06.22	31-12.22
1	Water Conservation and Harvesting	Model Talab						
		Other st.						
2	Plantation works	Road Side						
		Block plantation						
3	AWC							
4	Individual Works (excluding PMAY-G)							
5	PMAY-G works							
6	Renovation of Traditional Water bodies							
7	Crematoria							
8	Play Ground							
9	Food Godown							
10	Dev. of pastue Land							
11	Upgradation of Rural Haats							

Individual Works (FY-21-22)

S.No. (1)	Types of top 10 individual works (2)	Completed works		Ongoing Works		total Expenditure incurred (7=4+6)	Expenditure incurred per completed work (8=4/3)
		No.(3)	Exp.(4)	No.(5)	Exp.(6)		
1	House						
2	Farm Pond						
3	Land Development						
4	Cattel Shed						
5	Well and irrigation						
6	Compost Pit						
7	Plantation						
8	Water harvesting						
9	Other						

Status of Works

Status of Works		FY 20-21	FY 21-22
Total Works taken-up			
Works completed			
%Completed Works			
%expenditure on NRM in MWC blocks works (Block below 65%against total MWC Blocks)			
%expenditure on NRM works (No. of districts below 65%)			
%expenditure on agriculture and allied activities (No. of districts below 60%)			
% of Category B Works taken-up	PMAY-G		
	Others		

1. Block Below 65% Expenditure (NRM) - give reason why.
2. Blocks Below 60% Expenditure (Agri.) - give reason why.

Top 10 Incomplete Works

S.No.	Top 10 incomplete works (highest number to lowest)	Number of Incomplete Works since inception till date (FY-2019-20)	Number where expenditure > 75%	Number targeted for completion by 31-01-2022	Number targeted for completion by 31-03-2022
1	Construction of house				
2	Improving productivity of lands				
3	Promotion of livestock				
4	Road connectivity/Internal roads/Streets				
5	Water Conservation				
6	Development of fallow/waste lands				
7	Afforestation				
8	Traditional water bodies				
9	Irrigation				
10	Land Development				
11	Total				